भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4583

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पंजाब से गेहूं और धान की खरीद में कमी

4583. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 2024-25 फसल मौसम के दौरान पंजाब से गेहूं और धान की खरीद में देरी और कमी की जानकारी है;

(ख) देरी से उठान, बोरियों की अपर्याप्त उपलब्धता और संशोधित खरीद मानदंड, जिनसे किसान प्रभावित हो रहे हैं, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस देरी के कारण औने-पौने दामों पर बिक्री करनी पड़ी है और किसानों को वित्तीय नुकसान हुआ और यदि हां, तो सरकार ने समय पर खरीद और किसानों को पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या खरीद में देरी और पंजाब के किसानों को प्रभावित करने वाले नीतिगत बदलावों के कारण हुए नुकसान लिए कोई मुआवजे देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खरीफ विपणन मौसम के लिए धान और रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं की खरीद की अवधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से तय की जाती है।

पंजाब में गेहूं और धान की खरीद में कोई देरी नहीं हुई है। विपणन मौसम वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान पंजाब में गेहूं और धान की खरीद शुरू होने की तिथि इस प्रकार है:

विपणन मौसम	खरीद शुरू होने की तिथि	
	गेहूं	धान
2022-23	01.04.2022	01.10.2022
2023-24	01.04.2023	01.10.2023
2024-25	01.04.2024	01.10.2024

...2/-

पिछले तीन विपणन मौसमों 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान केंद्रीय पूल के लिए पंजाब में गेहूं और धान की खरीद निम्नानुसार है:

विपणन मौसम	खरीद (लाख टन में)	
	गेहूं	धान
2022-23	96.45	186.11
2023-24	121.12	185.28
2024-25	124.57	173.33

किसी राज्य में गेहूं और धान की खरीद अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषि फसल पैटर्न पर आधारित होती है।

(ख): आने वाले स्टॉक की प्राप्ति/भंडारण हेतु भंडारण स्थान का सृजन/रिक्तीकरण, पहले से भंडारित खाद्यान्न स्टॉक को बाहर ले जाना एक सतत प्रक्रिया है। धान की वर्तमान फसल की मिलिंग के बाद चावल की प्राप्ति/भंडारण हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने हेतु, राज्य में ढके हुए गोदामों में रखे गेहूँ के स्टॉक के संचलन/निकासी को प्राथमिकता देने, अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर लेने और पंजाब से चावल के अतिरिक्त निकासी संचलन जैसे उपाय किए गए हैं।

खरीद शुरू होने से पहले सभी खरीद एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में बोरियां उपलब्ध थीं।

(ग) से (ङ): किसानों को समय पर खरीद और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत गेहूँ और धान की खरीद करती है। केंद्रीय पूल में मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीद केवल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत की जाती है।

(ii) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विभिन्न राज्य एजेंसियां, राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती हैं। केंद्रों की संख्या और उनके स्थान का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालनों को अधिकतम किया जा सके। इस तरह के व्यापक और प्रभावी मूल्य समर्थन प्रचालनों के परिणामस्वरूप किसानों की आय लंबे समय तक बनी रही है और बेहतर उत्पादकता के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिला है।

...3/-

(iii) क्रय केंद्रों पर भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप किसानों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। यदि किसानों को खुले बाजार में समर्थन मूल्य से बेहतर मूल्य मिलता है, तो वे अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी एजेंसियों की उपस्थिति किसानों द्वारा खाद्यान्नों की संकटकालीन बिक्री को रोकने में मदद करती है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य खरीद पोर्टलों के माध्यम से की जा रही है, जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण, भूमि/फसल सत्यापन और सीधे किसान के बैंक खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान शुरू होने से इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता आई है।

(v) आरएमएस 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के डीबीटी ने प्रणाली में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और वास्तविक समय निगरानी लाई है।

(vi) खाद्यान्नों के लिए एमएसपी परिचालनों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन परिचालनों का लाभ उठा सकें।

*****